देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या 809 /भू अ० दिनांक : 6-11-17

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–हिरणा, थाना–देवघर, थाना सं०–269, अंचल–देवघर, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **जसीडीह–बैद्यनाथधाम स्टेशन के बीच लेवल कॉसिंग 04/E**–(सतसंग नगर) के स्थान पर पथ उपरी पुल (ROB) निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–हिरणा, थाना–देवघर, थाना सं०–269, अंचल–देवघर, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **23073.75 वर्गफीट** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है–

क.स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0/TPP No.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2/221	1469	बसौड़ी	बाड़ी–1	442.5	श्रीमति छवि देवी पति स्व० कपिल देव ना० चौधरी।	मौजा–मदरीचक नं० 256	मौजा–हिरणा	सत्संग भिरखीबाद रोड़	हिरणा
2	2/221	1469	बसौडी	बाड़ी–1	386.25	तथैव।				
3	2/2874	1479P	बसौड़ी	बाड़ी–1	510	श्रीमति रीना देवी पति श्री सुरेश वर्णवाल वो नरेश वर्णवाल पे०				
4	2/2874	1469	बसौड़ी	बाड़ी–1	570	बालगोविन्द वर्णवाल वो राम नारायण वर्णवाल पि० स्व० किशुन वर्णवाल वो प्रमोद वर्णवाल पे० स्व० सूर्य नारायण वर्णवाल।				
5	-	1469	बसौड़ी	बाड़ी–1	495	सत्संग महाविधालय।				
6	1/2873	737	बसौड़ी	बाड़ी–1	165	B, SHOP, B.D.T.A भागलपुर बिहार सेकट्री भागलपुर डिविजन रिप्रेजेन्टटीव चर्च मिशन।				
7	1/2873	736	बसौड़ी	बाड़ी–1	8145	तथैव।				
8	1/2873	736	बसौड़ी	बाड़ी–1	11860	तथैव।				
9	1/2873	736	बसौड़ी	बाड़ी–1	500	सचिव सत्संग आश्रम।				
				कुल रकवा(वर्गफीट)–	23073.75					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त

अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह०/–
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 809/ भू अ०, देवघर, दिनांक 6-11-17

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।

प्रतिलिपि : जिला अवर निबंधक, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

Rahul
6/11/17
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।